<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 612

26 जून, 2019 को उत्तर के लिए

भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोग

612. श्री राम विचार नेतामः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोगों में से कई लोगों को अभी भी रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना में विस्थापित परिवारों के रूप में चिन्हित 5684 में से विस्थापित श्रेणी के तहत 4468 को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास उपाय के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र में आरंभ से ही स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों के आश्रितों में से किसी एक को रोजगार दिया जाता था। वर्ष 1986 के दौरान, स्थानीय विस्थापित लोगों के पुनर्वास के संबंध में उद्योग मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) ने दिनांक 03.02.1986 के पत्र के तहत दिशा-निर्देश जारी किया था, जिसमें विशेष रूप से बताया गया था कि "***इस परियोजना में बेदखल परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के संबंध में किसी भी प्रकार के औपचारिक अथवा अनौपचारिक समझौते को निरस्त किया जाता है***"। इसके परिणामस्वरूप, भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने वरीयता के आधार पर रोजगार हेतु विस्थापित लोगों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। इस संबंध में भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल में विस्थापित लोगों को रोजगार बीपीई के उपरोक्त दिशा-निर्देशों की शर्तों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विनियमित होता है।

(ग) और (घ): उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

***